कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ऋषिकेश ।

पत्रांक 2906/वाद संख्या आर–1178/2024 दिनांक 09 जनवरी 2025

श्री पंकज अग्रवाल, श्री संजीव पाण्डेय, श्री दीपक गुप्ता,
श्रीमती पुष्पा, न्यू आवास विकास कालोनी,
भरत विहार, निकट हरि रेजीडेंसी, ऋषिकेश।

आप द्वारा स्थल उपरोक्त पर बिना कोई स्वीकृति प्राप्त किये/दिखाये लगभग 45 गुणा 45 फिट के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल व आंशिक भाग में तृतीय तल पर निर्माण कार्य किये जाने के कारण आप के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुये वाद संख्या आर–1178/2024 योजित किया गया है जो कि संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी न्यायालय में सुनवाई में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण/योजित वाद के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में यथाआवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 16-01-25 को समय 02.00 बजे अपरान्ह उपस्थित हो कर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर किये गये चालानशुदा निर्माण/सम्पूर्ण अवैध निर्माण को सील/ध्वस्त कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि वाद के अन्तिम निस्तारण तक आप स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें तथा स्थल पर यथास्थिति बनाये रखें।

सहायक अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ऋषिकेश।

महोदय
श्री पंकज अग्रवाल, संजीव पाण्डेय, दीपक गुप्ता, श्रीमती पुष्पा / भवन स्वामी का नोटिस स्थल पर अन्दर से गेट बन्द होने के कारण और काफी बार आवाज लगाई किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, इस कारण नोटिस स्थल पर चस्पा किया,

13/1/25.

Show cause/vsr